कोर्ट फी COURT FEE भारत INDIA दस रुपये TEN RUPEES Rs.10

115

रा.रा.श्रीमान् राजस्व मण्डल महोदय, ग्वालियर संभाग इन्दौर केसमक्ष

R. 2279-PBR/14

निगरानी प्रकरण क्रमांक–...../2014

प्रस्तुती दिनांक 11/07/2014

श्री हजारीलाल पिता स्वर्गीय श्री ताराचन्द्रजी
निवासी–ग्राम बसिपीपरी, तहसील महू.... प्रार्थी

विरूद्ध

1.डॉक्टर नरेन्द्र शर्मा पिता स्वर्गीय श्री धीसालालजी शर्मा
निवासी–मकान नंबर–2487 गोकुलगंज, महू तहसील महू

2.श्रीमती गिल्कीबाई पति स्वर्गीय श्री ताराचन्द्रजी
3.श्री ईश्वर पिता स्वर्गीय श्री ताराचन्द्रजी
दोनो निवासी–ग्राम बसिपीपरी तहसील महू...... प्रतिप्रार्थी

15-7-14

निगरानी धारा 50 मध्यप्रदेश भू राजस्व संहिता में

प्रार्थी की ओर से निवेदन है कि–

यह कि, माननीय अधिनस्थ न्यायालय श्रीमान् अपर तहसीलदार महोदय, के पीठासीन अधिकारी माननीय कुमारी निधि वर्मा साहब के द्वारा राजस्व प्रकरण क्रमांक–25/अ–6/2012–13 डॉक्टर नरेन्द्र शर्मा विरूद्ध श्री ताराचन्द्रजी में पारित आदेश दिनांक 02/07/2014 को जो अन्तरीम आदेश दिया गया है, उक्त आदेश से असंतुष्ट होकर प्रार्थी निम्न एवम् अन्य आधारो पर यह निगरानी प्रस्तुत करते है कि–

निगरानी के तथ्य

हजारीलाल

......2......

राजस्व मण्डल, मध्य प्रदेश, ग्वालियर

अनुवृत्ति आदेश पत्रिका

प्रकरण क्रमांक निगरानी 2279-पीबीआर/2014 जिला इंदौर

स्थान तथा दिनांक	कार्यवाही तथा आदेश	पक्षकारों एवं अभिभाषकों के हस्ताक्षर
20-2-2019	आवेदकपक्ष की ओर से कोई उपस्थित नहीं । अनावेदक अधिवक्ता श्री योगेश वर्मा उपस्थित।आवेदक द्वारा यह निगरानी तहसील न्यायालय के आदेश के विरूद्ध इस न्यायालय में प्रस्तुत की गई है । म0प्र0भू-राजस्व संहिता में दिनांक 25-09-2018 से लागू हुये संशोधन के फलस्वरूप अब नवीन संशोधित संहिता की धारा 50 सहपठित संहिता की धारा 54(ए) के अन्तर्गत प्रकरण सुनवाई हेतु कलेक्टर न्यायालय को भेजा जाता है। उभयपक्ष दिनांक 22-04-2019 को कलेक्टर के समक्ष सुनवाई हेतु उपस्थित हों । (मनोज गोयल) अध्यक्ष	